

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4584 / 2022

अमिता कुल्हरी

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आर.सी.एच.ओ, झुन्झुनूं।
4. सुनिता कुल्हरी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यालय आर.सी.एच.ओ, झुन्झुनूं।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.09.2022

आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य

एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर आर.सी.एच.ओ, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2020 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपकेन्द्र, लंगेरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मारुडी, बाडमेर से आर.सी.एच.ओ, झुन्झुनूं निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 के स्थान पर किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी वर्ष 2005 से 2020 (15 वर्ष) तक बाडमेर में ही पदस्थापित रही है। इसके उपरान्त प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपकेन्द्र लीलाल, बाडमेर किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2015 में पुत्र को जन्म दिया, जिसका जन्म से ही मस्तिष्क विकास बहुत धीमा है, जिसका निरन्तर इलाज फोर्टीज अस्पताल, दिल्ली तथा ऐशियन चाईल्ड न्यूरो क्लिनिक, अहमदाबाद में चल रहा है (अनुलग्नक-4)। अपीलार्थी के 77 वर्षीय ससुर काफी वृद्ध है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी अपीलार्थी की है। अपीलार्थी के पति कनिष्ठ लिपिक के पद पर डाइट, झुन्झुनूं में पदस्थापित है। राज्य सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित करने एवं आस-पास पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान

है। माननीय अधिकरण में निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2020 के विरुद्ध अपील संख्या 1086/2021 दायर की, जिसे अधिकरण द्वारा लोक अदालत में दिनांक 11.12.2021 को निस्तारण कर दिया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर आर.सी.एच.ओ, झुन्झुनूं में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के बच्चे जन्म से ही मस्तिष्क विकास बहुत धीमा होने की बीमारी है, जिसका निरन्तर इलाज फोर्टीज अस्पताल, दिल्ली तथा ऐशियन चाईल्ड न्यूरो क्लिनिक, अहमदाबाद में चल रहा होना बताया गया है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य